संतकबीरनगर पुलिस

जनपद – संतकबीरनगर ***प्रेस विज्ञप्ति*** ***दिनाँक 29.03.2024***

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दुष्कर्म के मामलें में अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 50,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे ***"ऑपरेशन कनविक्शन"*** व ***श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर*** द्वारा चलाये जा रहे ***"ऑपरेशन शिकंजा"*** अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 29.03.2024 को ***न्यायालय एएसजे/एसपीजे/पाक्सो एक्ट, जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा *थाना धनघटा* पर पंजीकृत *मु0अ0सं0 55/2020* धारा 376 भा0द0वि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता विजय पुत्र परमहंस निवासी खरचा थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 376 भा0द0वि0 व ¾ पाक्सो एक्ट के अपराध में 20 वर्ष सश्रम कारावास व 50,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 01 वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। धारा 428 सी0आर0पी0सी0 के तहत दोषसिद्ध के द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि को उसकी कारावास की अवधि में सम्मिलित किया जाएगा।

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम **में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता मदन पुत्र पूरन निवासी आजमपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीर नगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री श्यामदेव, का0 धनश्याम त्रिपाठी, का0 राजनरायण प्रजापति।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता विन्धाचल यादव पुत्र रामसमुझ यादव निवासी ग्राम डुहिया कला थाना धनघटा जनपद संतकबीर नगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री चन्द्रप्रकाश सिंह, हे0का0 आनन्द दूबे।

संतकबीरनगर पुलिस

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 09 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना दुधारा पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना धनघटा पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3301 द्वारा मारपीट/विवाद में घायल 02 लोगों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 3301 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत बरई टोला से इवेन्ट संख्या 11689 से कालर द्वारा किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से 02 लोगों (**1-संजय पुत्र सूर्यलाल 2- सीमा पत्नी संजय निवासीगण बरईटोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर**) के घायल होने के संबंध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर मारपीट में घायल लोगों को एंबुलेंश की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया साथ ही घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल लोगों को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

***पीआरवी स्टाफ-* आरक्षी जितेन्द्र गुप्ता, हो0चा0 महेश्वर शुक्ला।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 112 वाहनों से 1,46,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 29.03.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 112 वाहनों से 1,46,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।